जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना हल्दौर दिनांक– 03.04.2025

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा गुमशूदा 04 वर्षीय बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किये जाने के संबंध में।

संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 03.04.2025 को फरमान पुत्र शरीफ निवासी मौ0 सराय कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा थाना हल्दौर पर सूचना दी कि उसका पुत्र अजान(उम्र लगभग 4 वर्ष) आज समय करीब 11:30 बजे घर से बिना बताए कहीं चला गया है, जो काफी तलाश करने पर भी नही मिला है।

सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त बच्चे की तलाश एंव शीघ्र बरामदगी हेतु टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा किये गये सतत प्रयासों के फलस्वरूप शाम करीब 18:30 बजे अजान उपरोक्त को कुशलतापूर्वक बरामद कर लिया गया। बरामदगी के पश्चात बच्चे को सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

नोट- हल्दौर पुलिस आमजन से अपील करती है कि यदि कोई बच्चा या व्यक्ति गुम हो जाता है, तो तुरंत निकटतम थाने पर सूचना दें,जिससे समय रहते आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

बरामद करने वाली पुलिस टीम के नाम-

1.थाना प्रभारी शैलेन्द्र सिंह चौहान थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्रीपाल सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
3.मु0आ0 शक्ति सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
4.कां0 निर्दोष थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
5.कां0 अकिंत थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
6. कां0 कुलदीप थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 03.04.2025**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना नूरपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा 363 भादवि में 03 आरोपी अभियुक्तो को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 05.08.2023 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1- साहिल पुत्र जुल्फूकार 2- शुहैल पुत्र रौनक रजा 3- नवाजिस पुत्र मोहरम अली निवासीगण ग्राम कन्हैडी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले गये है। इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 299/23 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही मे धारा 376D(A) भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 03.04.2025 को मा0 न्यायालय, स्पेशल पॉक्सो एक्ट, जनपद बिजनौर मुकदमा उपरोक्त में आरोपी अभियुक्तगण 1- साहिल पुत्र जुल्फूकार 2- शुहैल पुत्र रौनक रजा 3- नवाजिस पुत्र मोहरम अली निवासीगण ग्राम कन्हैडी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को धारा 363 भादवि में 02-02 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोटः- अभियुक्तगणों को धारा 376D(A) भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट में दोषमुक्त किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- साहिल पुत्र जुल्फूकार निवासी ग्राम कन्हैडी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

2- शुहैल पुत्र रौनक रजा निवासी ग्राम कन्हैडी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

3- नवाजिस पुत्र मोहरम अली निवासीगण ग्राम कन्हैडी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा दिनांक – 03.04.2025

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही विवरण –

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा अभियुक्त सन्दीप पुत्र लाखन सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर कलां थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 42/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सन्दीप पुत्र लाखन सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर कलां थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

एक अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त सन्दीप उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 42/2025 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2. मु0अ0स0 221/2023 धारा 323/324/504/506 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 मुकेश कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

2. है0का0 356 प्रकाश वीर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

3.का0 1844 अनूप चौधरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 03.04.2025**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना नगीना पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास व 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि थाना नगीना पुलिस द्वारा अभियुक्त नदीम उर्फ नईम पुत्र ताहिर निवासी मौ0 फीना कालोनी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 500 ग्राम अवैध चरस सहित गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 384/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 03.04.2025 को मा0 न्यायालय, एडीजे-III/एनडीपीएस एक्ट बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 384/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त नदीम उर्फ नईम पुत्र ताहिर निवासी मौ0 फीना कॉलोनी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 02 वर्ष के कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- नदीम उर्फ नईम पुत्र ताहिर निवासी मौ0 फीना कालोनी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक – 03.04.2025**

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 20/2025 धारा 109(1)/352 बीएनएस में वांछित अभियुक्त किया गया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 02.02.2025 को वादिया श्रीमति सर्वेश पुत्री संजय निवासी ग्राम बसेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण अर्जुन पुत्र हरदयाल निवासी उपरोक्त व उसकी पत्नी राखी द्वारा वादिया, वादिया के पति व पुत्र के साथ गाली-गलौच करते हुए अभियुक्त अर्जुन द्वारा वादिया के पति को जान से मारने की नीयत से गन्ना काटने के गदाले से वार कर घायल कर दिया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 20/2025 धारा 109(1)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही का विवरण-

आज दिनांक 03.04.2025 को उपरोक्त अभियोग में वाछिंत अभियुक्त अर्जुन पुत्र हरदयाल निवासी ग्राम बसेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अर्जुन पुत्र हरदयाल निवासी ग्राम बसेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2.हे0का0 655 श्याम सिंह थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3. का0 2171 प्रवेन्द्र थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना अफजलगढ दिनांक 03.04.2025

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा शातिर चोर को चोरी के सामान सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.04.2025 को वादी श्री टिकेन्द्र सिंह पुत्र श्री हुक्म सिंह निवासी ग्राम सीरवासुचन्द थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा रात्रि में कोटबाग से आगे खेत पर रखा इंजन का हैड व पम्प आदि सामान चोरी किया गया है । इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 93/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही –

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त कुलदीप पुत्र करतार सिंह हाल निवासी मांगोवाला पूर्वी निकट जिला अस्पताल कस्बा व थाना जसपुर जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड मूल निवासी ग्राम पतरामपुर थाना जसपुर जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड को मानियावाला कट के पास ग्राम कोटबाग सीरवासुचन्द के पास खेत से चोरी किये गये सामान व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा सहित गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त ई-रिक्शा को धारा 207 MV Act में सीज किया गया तथा अभियोग में धारा 307(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कुलदीप पुत्र करतार सिंह हाल निवासी मांगोवाला पूर्वी निकट जिला अस्पताल कस्बा व थाना जसपुर जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड मूल निवासी ग्राम पतरामपुर थाना जसपुर जिला उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड।

बरामदगी का विवरण –

1- इंजन के पम्प की 2 हैड व 2 ब्लॉक लोहा, 01 साइड कवर प्लेट, 01 पानी का पंखा, 01 इंजन की लोहे की फाउण्डेशन, 01 पानी की पम्पी, 01 पंखे की कोहनी, 01 टायर मय रिम (पहिया), 01 इंजन का पंखा पानी, व इंजन के छोटे-छोटे पुर्जे (पार्टस) व इंजन को खोलने व बांधने के औजार।

2- घटना मे प्रयुक्त ई रिक्शा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त

1- मु0अ0स0 09/2016 धारा 3/5ए/8 गोवध अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर।

2- मु0अ0स0 533/2018 धारा 380/411 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

3- मु0अ0स0 268/2018 धारा 379/411 भादवि थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद।

4- मु0अ0सं0 93/2025 धारा 303(2)/317(2)BNS थाना अफजलगढ बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 यशपाल सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

2- मुख्य आरक्षी नेम सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

3- मुख्य आरक्षी वरुण थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

4- मुख्य आरक्षी विपिन थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

5. आरक्षी सुरेश थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

6. आरक्षी राजीव कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 03.04.2025**

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड में घायल अभियुक्त को गोवंशीय मांस व अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण –

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये रहे अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस को चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना नजीबाबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जफरपुर के जंगल में कुछ लोग गोकशी की घटना कारित करने की फिराक में है । उक्त सूचना पर थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा तत्काल ग्राम जफरपुर के जंगल में पहुंचकर अभियुक्तगणों का आत्मसमर्पण के लिये कहा गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया और जंगल की तरफ भागने लगे । पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसको घायल अवस्था में हिरासत में लिया गया तथा मौके से 03 अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

घायल अभियुक्त ने अपना नाम फईम पुत्र नफीस निवासी ग्राम करमसखेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर बताया तथा इसने अपने फरार साथियो का नाम 1- मुन्ना पुत्र मजीद 2- दानिश पुत्र अय्यूब 3- बब्बू पुत्र फीजू निवासीगण ग्राम जफरपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर बताया ।

अभियुक्त के कब्जे से गौवंशीय मांस, पशु वध करने के उपकरण व 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 खोखा कारतूस बरामद किये गये । घायल अभियुक्त फईम उपरोक्त को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है । इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 110/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त फईम उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह अपने साथी मुन्ना के घर ग्राम जफरपुर में दावत के लिये गया था । वहां पर मौजूद मुन्ना, मुन्ना के साथी दानिश व बब्लू ने कहा कि उन्होने एक बछडा तालाब के पास बांध रखा है, जिसे रात में काटेगे, जिसके लिये उसको 700/- रुपये का लालच भी दिया गया था । अभियुक्तगण फईम, मुन्ना, दानिश व बब्बू उपरोक्त ने एक राय होकर पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार गौकशी की घटना को अंजाम दिया था ।

गिरफ्तार अभियुक्तण का नाम व पताः-

1- फईम पुत्र नफीस निवासी ग्राम करमसखेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

फरार अभियुक्तगणों का विवरण –

1- मुन्ना पुत्र मजीद ग्राम जफरपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2- दानिश पुत्र अय्यूब ग्राम जफरपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

3- बब्बू पुत्र फीजू निवासीगण ग्राम जफरपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

1- गौवंशीय मांस

2- गौवध करने के उपकरण

3- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 खोखा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त

1- मु0अ0सं0 2345/2007 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2- मु0अ0सं0 662/2008 धारा 452/323/325/506 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

3- मु0अ0सं0 80/2020 धारा 3/8 गौवध अधि0 थाना नजीबाद जनपद बिजनौर।

4- मु0अ0सं0 182/2020 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

5- मु0अ0स0-110/2025 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जयभगवान सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2. व0उ0नि0 ईलम सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3. उ0नि0 सौरभ चौधरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
4. उ0नि0 रामवीर शर्मा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
5. उ0नि0 नितेन्द्र सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
6. उ0नि0 कय्युम अली थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
7. मुख्य आरक्षी मोनू थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
8. मुख्य आरक्षी अनिल राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
9. आरक्षी अशोक थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
10. आरक्षी सचिन थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
11. आरक्षी समोद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
12. आरक्षी समोद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
13. आरक्षी नितिन थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
14. आरक्षी सनुज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
15. आरक्षी रिंकू थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
16. आरक्षी गौरव थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।